

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर

राजस्थान मूल के विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों को राजस्थान सरकार के निर्देश / अनुमोदन अनुसार देय यात्रा सुविधाओं का विवरण

(नवीनतम स्थिति दिनांक 29/12/2011)

क्र.सं	श्रेणी	देय सुविधा	पात्रता / यात्रा का आधार	वाहन श्रेणी जिसमें नि:शुल्क / रियायती यात्रा सुविधा देय है	वर्तमान में देय सुविधा कहाँ से कहाँ तक	सुविधा कब से देय हुई
1.	परकार	नि:शुल्क	डी.पी.आर से जारी आदेशानुसार अधिकृत परकार को निगम से जारी परिवचय पत्र व यात्रा कूपन के आधार पर	वातानुकूलित एवं वोल्वो के अलावा अन्य समस्त वाहन श्रेणी यथा साधारण, दुतगामी, सेमी डीलक्स, डीलक्स बस	केवल राजस्थान एवं दिल्ली तक की यात्रा	वर्ष 1974
2.	स्वतन्त्रता सेनानी	नि:शुल्क	राजस्थान सरकार से जारी पेंशन आदेश के आधार पर व निगम से जारी परिवचय पत्र पर	वातानुकूलित एवं वोल्वो के अलावा अन्य समस्त वाहन श्रेणी यथा साधारण, दुतगामी, सेमी डीलक्स डीलक्स बस	जहाँ तक निगम वाहन संचालित है।	01.04.1987
3.	स्वतन्त्रता सेनानी का एक सहयोगी	नि:शुल्क	क्रम संख्या 2 के अनुसार यथावत।	जहाँ तक निगम वाहन संचालित है।	07.05.1994
4.	स्वतन्त्रता सेनानियों की विधवार	नि:शुल्क	राजस्थान सरकार से जारी पेंशन आदेश के आधार पर निगम से जारी परिवचय पत्र पर	क्रम संख्या 2 के अनुसार यथावत।	जहाँ तक निगम वाहन संचालित है।	04.05.1989
5.	स्वतन्त्रता सेनानी की विधवा के साथ एक सहयोगी	नि:शुल्क	क्रम संख्या 2 के अनुसार यथावत।	जहाँ तक निगम वाहन संचालित है।	02.03.2007
6.	युद्ध में शहीदों की विधवार एवं उन पर आश्रित अवयस्क सन्ताने	नि:शुल्क	सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी पेंशन पत्रादि के आधार पर निगम द्वारा जारी परिवचय पत्र के आधार पर।	साधारण एवं दुतगामी सेवाएं	केवल राजस्थान राज्य क्षेत्र में।	08.07.1999
7.	राज्य की अनुसूचित जाति एवं आदिवासी क्षेत्र की कक्षा 8 तक पढने वाली आदिवासी बालिकाएं	नि:शुल्क	विशालय द्वारा जारी परिवचय पत्र के आधार पर निगम कार्यालय द्वारा सिड्यूल III / परिवचय पत्र के आधार पर	साधारण / दुतगामी सेवाएं	राजस्थान राज्य क्षेत्र में, धर से स्कूल तक आने जाने हेतु	जून 1994
8.	पद्म पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति	नि:शुल्क	महा महिम राटपति महो0 द्वारा जारी पद्म पुरस्कार के प्रमाण पत्र के आधार पर जन सम्पर्क शाखा मुख्या0 जयपुर में प्रस्तुत करने पर, जारी परिवचय पत्र के आधार पर	वातानुकूलित एवं वोल्वो वाहन सहित समस्त वाहन श्रेणी	जहाँ तक निगम वाहन संचालित है	24.05.2010
9.	पद्म पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का एक सहयोगी	नि:शुल्क	वातानुकूलित एवं वोल्वो वाहन सहित समस्त वाहन श्रेणी	जहाँ तक निगम वाहन संचालित है	06.04.2011
10.	नेत्रहीन / अंधता	नि:शुल्क	नेत्रहीनता / अंधता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर निगम से जारी परिवचय पत्र पर	साधारण सेवा एवं दुतगामी / यात्री सेवाओं में।	जहाँ तक निगम वाहन संचालित है।	वर्ष 1974 03.08.2010
11.	नेत्रहीन / अंधता का एक सहयोगी	नि:शुल्क	साधारण सेवा एवं दुतगामी / यात्री सेवाओं में।	जहाँ तक निगम वाहन संचालित है।	09.03.2005
12.	विकलांग(अस्थि) / चलन निशक्तता	नि:शुल्क	प्राधिकृत विषय विशेषज्ञ चिकित्सक के प्रमाण पत्र पर निगम द्वारा जारी परिवचय पत्र के आधार पर।	साधारण सेवा एवं दुतगामी / यात्री सेवाओं में।	जहाँ तक निगम वाहन संचालित है	03.08.2010
13.	श्रवण बाधित	नि:शुल्क	साधारण सेवा एवं दुतगामी / यात्री सेवाओं में।	जहाँ तक निगम वाहन संचालित है	03.08.2010
14.	मानसिक विमन्दिता / मंदता	नि:शुल्क	साधारण सेवा एवं दुतगामी / यात्री सेवाओं में।	जहाँ तक निगम वाहन संचालित है।	31.08.1998
15.	मानसिक विमन्दिता / मंदता का एक सहयोगी	नि:शुल्क	साधारण सेवा एवं दुतगामी / यात्री सेवाओं में।	जहाँ तक निगम वाहन संचालित है।	03.08.2010
16.	कम दृष्टि निशक्तता	नि:शुल्क	साधारण सेवा एवं दुतगामी / यात्री सेवाओं में।	जहाँ तक निगम वाहन संचालित है	03.08.2010

क्र.सं.	श्रेणी	देय सुविधा	पत्रादा / यात्रा का आधार	वाहन श्रेणी जिसमें निशुल्क/रियायती यात्रा सुविधा देय है	वर्तमान में देय सुविधा कहाँ से कहाँ तक	सुविधा कब से देय हुई
17.	मानसिक रूपान्ता	निशुल्क	कम संख्या 12 के अनुसार यथावत ।	साधारण सेवा एवं दुर्तगामी/यात्री सेवाओं में ।	जहाँ तक निगम वाहनों संचालित है ।	03.08.2010
18.	मानसिक रूपान्ता से ग्रसित व्यक्ति का एक सहयोगी	निशुल्क	साधारण सेवा एवं दुर्तगामी/यात्री सेवाओं में ।	जहाँ तक निगम वाहनों संचालित है ।	03.08.2010
19.	कुछ लोग मुक्ता	निशुल्क	कम संख्या 12 के अनुसार यथावत ।	साधारण सेवा एवं दुर्तगामी/यात्री सेवाओं में ।	जहाँ तक निगम वाहनों संचालित है ।	03.08.2010
20.	अंतरराष्ट्रीय स्तर को खेल प्रतिस्पर्धा में राज्य के पर्यक विजेता	निशुल्क	खेल स्पर्धा का मूल प्रमाण पत्र जन सम्यक शाखा मुख्यालय जयपुर में प्रस्तुत करने पर, जारी परिचय पत्र के आधार पर अगार्ड के प्रमाण पत्र के आधार पर जन सम्यक शाखा मुख्यालय जयपुर से जारी परिचय पत्र के आधार पर	समस्त वाहन श्रेणी (सुपर लकजरी बसों के अतिरिक्त) वातानुकूलित एवं वोल्वो वाहन सहित समस्त वाहन श्रेणी	जहाँ तक निगम वाहनों संचालित है ।	10.08.2010
21.	राष्ट्रपति पुलिस मेडल फॉर गैलेट्री एवम् पुलिस मेडल फॉर गैलेट्री एवम् पुलिस मेडल फॉर गैलेट्री अगार्ड से सम्मानित व्यक्ति	निशुल्क	वातानुकूलित एवं वोल्वो वाहन सहित समस्त वाहन श्रेणी	जहाँ तक निगम वाहनों संचालित है ।	7.6.2011
22.	राष्ट्रपति पुलिस मेडल फॉर गैलेट्री एवम् पुलिस मेडल फॉर गैलेट्री अगार्ड से सम्मानित व्यक्ति जो वर्तमान में सेवारत नहीं है का एक सहयोगी	निशुल्क	वातानुकूलित एवं वोल्वो वाहन सहित समस्त वाहन श्रेणी	जहाँ तक निगम वाहनों संचालित है ।	30.08.2011
23.	असकामक कुट्ट रोगी	75 प्रतिशत छूट	विकित्सक द्वारा ईलाज के लिए जारी पत्र के आधार पर	साधारण / दुर्तगामी सेवा	घर से अस्पताल तक आने जाने हेतु	01.04.1987
24.	थैलीसीमिया रोगी	75 प्रतिशत छूट	कम संख्या 23 के अनुसार यथावत ।	साधारण / दुर्तगामी सेवा	घर से अस्पताल तक आने जाने हेतु	सन् 1992
25.	थैलीसीमिया रोगी का एक सहयोगी	50 प्रतिशत छूट	साधारण / दुर्तगामी सेवा	घर से अस्पताल तक आने जाने हेतु	25.08.2003
26.	एड्स रोगी Immuno-compromised	75 प्रतिशत छूट	कम संख्या 23 के अनुसार यथावत ।	साधारण / दुर्तगामी सेवा	घर से अस्पताल तक आने जाने हेतु	25.08.2003
27.	कैन्सर रोगी	75 प्रतिशत छूट	कम संख्या 23 के अनुसार यथावत ।	साधारण / दुर्तगामी सेवा	घर से अस्पताल तक आने जाने हेतु	01.05.1984
28.	कैन्सर रोगी का एक सहयोगी	50 प्रतिशत छूट	साधारण / दुर्तगामी सेवा	रोगी के साथ घर से अस्पताल तक आने जाने हेतु	25.08.2003
29.	विधार्थी	50 प्रतिशत छूट	विधालय द्वारा जारी परिचय पत्र के आधार पर निगम कार्यालय द्वारा सिद्धरत्न III / परिचय पत्र के आधार पर निगम द्वारा जारी परिचय पत्र के आधार पर	साधारण / दुर्तगामी सेवा	निवास स्थान से शिक्षण संस्थान तक 50 कि.मी. की परिधि में	वर्ष 1974
30.	राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय एवम् राज्य स्तर पर पुरस्कृत शिक्षक	50 प्रतिशत छूट	जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पत्रों के अनुसार निगम द्वारा जारी परिचय पत्र के आधार पर	साधारण / दुर्तगामी सेवा	राजस्थान राज्य सीमा में ।	10.02.2011
31.	निगम के लाइसेन्स धारी कूलियाँ नगरीय सेवाओं में यात्रा सुविधा	50 प्रतिशत छूट	निगम द्वारा जारी कूलि लाइसेन्स के आधार पर	केवल नगरीय बस सेवाओं में	निगम की नगरीय बस सेवा में निवास स्थान से बस स्टैण्ड तक	19.05.2008
32.	60 वर्ष व उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक	30 प्रतिशत छूट	60 वर्ष व उससे अधिक आयु होने का निर्धारित प्रपत्रों में से कोई एक प्रपत्र प्रस्तुत करने पर या निगम द्वारा जारी परिचय पत्र के आधार पर	साधारण एवं दुर्तगामी सेवा	जहाँ तक निगम वाहनों संचालित है ।	16.01.2006 20.04.2011
33.	महिलाओं द्वारा समूह में (युनितम 5 महिलायें) यात्रा करने पर आदिवासी जन जाति क्षेत्र के आदिवासियों को	25 प्रतिशत छूट	युनितम 5 या 5 से अधिक महिलाओं का समूह का प्रस्थान व गन्तव्य स्थान समान होने पर युनाव आयोग का पत्र/बी.पी.एल कार्ड/राशन कार्ड अथवा स्वयं अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र में से कोई एक (आदिवासी होने का प्रमाण पत्र)	साधारण एवं दुर्तगामी सेवा	राजस्थान राज्य सीमा में ।	14.05.2007
34.	आदिवासी जन जाति क्षेत्र के आदिवासियों को	25 प्रतिशत छूट	युनाव आयोग का पत्र/बी.पी.एल कार्ड/राशन कार्ड अथवा स्वयं अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र में से कोई एक (आदिवासी होने का प्रमाण पत्र)	साधारण सेवा	आदिवासी क्षेत्रों में संचालित स्थानीय साधारण सेवा की बसों में ।	23.02.2008

उक्त के अतिरिक्त निम्न पुलिस / सुखा कर्मियों की मृत्यु पर, उनकी पत्नी तथा आश्रित बच्चों को निगम बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा की अनुमति दी गई :-

क्र.सं.	शहीद पुलिस / सुखा कर्मियों	देय सुविधा	यात्रा / यात्रा का आधार	वाहन श्रेणी जिसमें निशुल्क / रियायती यात्रा सुविधा देय है	वर्तमान में देय सुविधा कहीं से कहीं तक	सुविधा कब से देय हुई
1.	कार्टबल स्वर्गीय श्री चन्द्रभान	निशुल्क	पुलिस अधीक्षक जिला झुझार के प्रमाणीकरण के आधार पर पत्नी तथा आश्रित बच्चों को निगम से जारी परिव्यय पत्र पर	साधारण एवं दुर्तगामी सेवा	जहाँ तक निगम वाहनों संवाहित है।	30.07.2010
2.	पुलिस निरीक्षक स्वर्गीय श्री फूल मोहनमद	निशुल्क	सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक के प्रमाणीकरण के आधार पर पत्नी तथा आश्रित बच्चों को निगम से जारी परिव्यय पत्र पर	समस्त वाहन श्रेणी (बोल्डों, सुपर डीलक्स एवं लकजरी बसों के अलावा)	जहाँ तक निगम वाहनों संवाहित है।	20.04.2011
3.	स्वश्री दुर्गालाल कोर सुखा कर्मों	निशुल्क	सु श्री पूजा कोर पुत्री स्वश्री दुर्गालाल कोर	समस्त वाहन श्रेणी (बोल्डों, सुपर डीलक्स एवं लकजरी बसों के अलावा)	जहाँ तक निगम वाहनों संवाहित है।	13.10.2011
4.	स्वर्गीय श्री निहाल सिंह काठिनो नं० 185	निशुल्क	पुलिस अधीक्षक जिला अलावर के प्रमाणीकरण के आधार पर पत्नी तथा आश्रित बच्चों को निगम से जारी परिव्यय पत्र पर	समस्त वाहन श्रेणी (बोल्डों, सुपर डीलक्स एवं लकजरी बसों के अलावा)	जहाँ तक निगम वाहनों संवाहित है।	29.12.2011